तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व प्रार्थना पत्र मु.न. 202/2024** **अनवान पवन सिंवर वगै. बनाम विक्रम सिंह वगै.** **अन्तर्गत धारा 251 (क) आरटीए**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
23.12.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित है। बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विधि विरूद्ध है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र मे A से B मार्ग सम्बन्धित अनुतोष चाहा है। जबकि पत्रवाली पर इस प्रकार का कोई नक्शा नहीं है। प्रार्थनापत्र सारहीन है। जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारीज होने योग्य है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 542 तादादी 9.9100 हैक्टेयर रोही तोलियासर के लिए रास्ता को कायम करवाने के लिए आवेदन किया है जिसमें धारा 251 क के प्रावधानो के अनुसार कोई अभिधारी या अभिधारियो का समूह अपनी जोत या, यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है– और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही होता है, तो ऐसा अभिधारी या. यथास्थिति ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे ओर उपखण्ड अधिकारी यदि सक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि यह आवश्यकता अन्यन्त आवश्यकता है ओर यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है का प्रावधान है राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 में निर्धारित प्ररूप झ के अन्तर्गत आवेदन का प्रारूप दिया गया है उक्त प्रारूप में ही प्रार्थीगण द्वारा रास्ता बाबत आवेदन किया गया है उक्त आवेदन की जांच सक्षिप्त जांच के बाद ही तय किया तय किया जाना है कि यह आवश्यकता अन्यन्त आवश्यकता है ओर यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा रास्ता हेतु आवेदन नियम 68 के अन्तर्गत पेश किया गया है एवं प्रार्थी द्वारा सलग्न प्रार्थना पत्रों में अन्य [illegible] विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है जिसमें रास्ता को प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान आवागमन को दर्शाया गया है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा गुगल नक्शा सलग्न कर चिन्हित किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के खरीदशूदा खेत के सम्बन्ध में पूर्व में पेश किये गये प्रार्थना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.07 17:25:09 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

पत्र के सम्बन्ध में हवाला दिया गया है जिसमें आई हुई जांच रिर्पोट को शामिल कर रास्ता कायम करने का निवेदन किया है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया है जिसमें अप्रार्थी द्वारा अनुतोष के अनुसार नक्शा सलग्न नही करने पर प्रार्थना पत्र सारहीन बताया जाकर पेश किया जबकि प्रार्थीगण द्वारा गुगल नक्शा में चाहे गये रास्ता को चिन्हित कर नक्शा सलग्न किया गया है जिसको चांज रिर्पोट के आधार पर तय किया जाना है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता जांच रिर्पोट के आधार पर तय किया जाना है इसलिए प्रार्थीगण के प्रार्थना पर पर आदेश 07 नियम 11 सीपीसी लागू नही होता है अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को देरी किये जाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कोस्ट पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन कर लेना उचित रहेगा। जो निम्न प्रकार से हैः–

आदेश 7 नियम 11 वादपत्र का नामंजूर किया जाना–वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जावेगाः–

(क) जहां वह वादहेतुक प्रकट नहीं करता है,

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया है और वादी मूल्याकंन का ठीक करनें के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायलय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियम किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(परन्तु मूल्याकंन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प– पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढाया जाएगा जब तक कि न्यायलय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति मूल्यांकन की शुद्धि करनें या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा)

(च) जहां इसे डुप्लिकेट में फाइल नहीं किया गया है।

(छ) जहां वादी नियम 9 के प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.07 17:25:09 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में यह कहा गया है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विधि विरूद्ध है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र मे A से B मार्ग सम्बन्धित अनुतोष चाहा है। जबकि पत्रवाली पर इस प्रकार का कोई नक्शा नहीं है। प्रार्थनापत्र सारहीन है। जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में रास्ते को दर्शाते हुए नजरी फर्द मौका को नक्शा संलग्न करतें हुए ए से बी दर्शाया गया है एवं प्रार्थना पत्र के अनुतोष के मद में भी संलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै.मु. कटाणी दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा संलग्न नक्शे में किसी भी प्रकार से चाहे गये अनुतोष बाबत् चिन्ह् अंकित नहीं किये गये है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की परिधि में आता है। लिहाजा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थी नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

आदेश आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति वाजिब नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.07 17:25:09 IST
Reason: SelfAttested